न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 156/2025

दायर दिनांक–09.06.2025

1. सायरा बेवा नूरिया फकीर
2. सिराजुदीन पुत्र नूरिया फकीर जाति फकीर मुसलमान निवासी बसावा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

–वादीगण

1. रमज्यान पुत्र स्व0 नूरिया
2. जाफर पुत्र स्व0 नूरिया
3. गफूर पुत्र स्व0 नूरिया जाति फकीर मुसलमान निवासीगण बसावा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू
4. उप पंजीयक नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
5. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री अमर सिंह शेखावत
वकील प्रतिवादी :– श्री सुरेश कुमार सैनी

दावा बाबत : घोषणा, दुरूस्ती रिकॉर्ड व स्थाई निषेधाज्ञा।

–:: निर्णय ::–

दिनांक–29.07.2025

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि राजस्व ग्राम बसावा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1300/302 रकबा 1.50 है0 वादी नं0 1 के पति व वादी नं0 2 व प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 के पिता स्व0 नूरिया की खातेदारी काश्त की भूमि थी। जिसे सदैव से वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 काश्त करते चले आ रहे है। उक्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा है। जमाबंदी सम्वत् 2012–2015 में वादिया नं0 1 के पति व वादी नं0 2 व प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 के पिता के नाम से दर्ज है।

खातेदारी स्व0 नूरिया पुत्र इलाईबक्स का स्वर्गवास करीब 48 वर्ष पहले हो चुका है। नूरिया की मृत्यु के पश्चात इंतकाल कानूनन स्व0 नूरिया के सभी वारिसान के नाम भरा जाना चाहिए था लेकिन गलती से प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 स्व0 नूरिया के बड़े लड़के होने के कारण उनके नाम से ही इंतकाल भर दिया गया। वादीगण के नाम नही भरा गया। गलत राजस्व रिकॉर्ड के कारण वादीगण के कब्जे काश्त में कोई फर्क नही पड़ता लेकिन भविष्य में जाकर वादीगण के साथ कुठाराघात हो सकता है। वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 भूमि को मौके पर सहुलियत के अनुसार मौके पर बांट रखी है तथा काश्त करते है। इसलिए दावा घोषणार्थ व दुरूस्ती रिकॉर्ड का पेश करना आवश्यक हुआ।

प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 के नाम रिकॉर्ड बन जाने के कारण ये लोग बाला बाला भूमि को विक्रय कर दूसरे को कब्जा देने की फिराक में लगे हुए है। यदि प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 3 अपनी मंशा में सफल हो गये तो वादीगण को अपनी भूमि से बेदखल कर देंगे जिसकी क्षतिपूर्ति संभव नही है।

अतः वाद पेश कर निवेदन है कि ग्राम बसावा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1300/302 रकबा 1.50 है0 में वादीगण को 1/5–1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाकर वादीगण के काश्त में किसी प्रकार की दखंलदाजी पैदा नही करें तथा उक्त भूमि को किसी अन्य को विक्रय अथवा हस्तांतरित नही करें।

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर हुआ तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी सं0 01 लगायत 03 की ओर से वकील श्री सुरेश कुमार सैनी ने वकालतनामा पेश किया। शेष प्रतिवादीगण की तलबी सम्यक रूप से होने के बाजवूद उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:20:45 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम.(फा.ट्रे.)
नवलगढ़

प्रकरण में प्रतिवादी सं0 01 लगायत 03 की ओर से जबाब पेश करने पर प्रकरण में तनकीयात कायम की गई। वादी की ओर से शहादत वादी हेतु गवाह सिराजूदीन व सुल्तान का चीफ का सपथ पत्र पेश किया।। वादी ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदीयां तथा नकल मिलान क्षैत्रफल आदि दस्तावेज पेश किये।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील प्रतिवादी की ओर से वाद अनुसार निर्णय किये जाने पर सहमति व्यक्त करने पर तनकीवार निर्णय किये जाने की आवश्यकता नही है। वकील वादी ने दौराने बहस मे वाद–पत्र में दर्ज तथ्यो को दोहराया तथा कथन किया कि वादी सं0 1 फौत हो चुकी है अतः स्व0 नूरिया के 4 वारिसान शेष है। अतः चारों वारिसानों को उक्त भूमि में बराबर बराबर अर्थात् 1/4–1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। वकील प्रतिवादी ने वादी के कथनानुसार निर्णय किये जाने पर सहमति दी। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली का एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 के पति व पिता स्व0 नूरिया की खातेदारी की भूमि दर्ज थी। स्व0 नूरिया का इंतकाल सिर्फ प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 के नाम भरा गया था जबकि स्व0 नूरिया के वादीगण भी उत्तराधिकारी थे। अतः राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाकर वादी सं0 2 व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 प्रत्येक को उक्त भूमि में 1/4–1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित है। फलस्वरूप वाद वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

–:: <u>आदेश</u> ::–

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम बसावा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1300/302 रकबा 1.50 है0 भूमि में वादी सं0 2 व प्रतिवादी सं0 1 लगायत 03 प्रत्येक को 1/4–1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण 01 लगायत 3 को उक्त भूमि के मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु जरिये स्थाई निषेधज्ञा से पाबंद किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 29.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट,(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:20:45 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

दावा बाबत : घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकॉर्ड व स्थाई निषेधाज्ञा।

मुकदमा सं0:– 156/2025 **(सायरा आदि बनाम रमज्यान आदि)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **सुशील कुमार सैनी** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 29.07.2025 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम बसावा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1300/302 रकबा 1.50 है0 भूमि में वादी सं0 2 व प्रतिवादी सं0 1 लगायत 03 प्रत्येक को 1/4–1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण 01 लगायत 3 को उक्त भूमि के मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु जरिये स्थाई निषेधज्ञा से पाबंद किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 29.07.2025 को जारी की गई।

सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:20:45 IST
Reason: SelfAttested